रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2008/चैत्र 4, 1930
No. 386] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2008/CHAITRA 4, 1930

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2008

आय-कर

का.आ. 547(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 14क की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पाँचवां संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में, नियम 8ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसी आय के संबंध में, जो कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं है व्यय की रकम अवधारण करने के लिए पद्धति ।

8घ (1) जहां निर्धारण अधिकारी का, गत वर्ष के निर्धारिती के लेखाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी आय के संबंध में, जो ऐसी गत वर्ष के लिए अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं बनती है, निम्नलिखित के संबंध में समाधान नहीं होता है—

(क) निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के दावे की परिशुद्धता; या

(ख) निर्धारिती द्वारा किया गया दावा कि कोई व्यय उपगत नहीं किया गया है,

वहां वह ऐसी आय के संबंध में व्यय की रकम का अवधारण उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार करेगा।

(2) उस आय के संबंध में व्यय, जो कुल आय का भाग नहीं बनती है निम्नलिखित रकमों का योग होगा, अर्थात् :—

(i) प्रत्यक्षतः आय से संबंधित व्यय की वह रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनती है ;

(ii) उस दशा में, जहां निर्धारिती ने गत वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में व्यय उपगत किया है जो प्रत्यक्षतः किसी विशिष्ट आय या प्राप्ति से माना जा सकने वाला है, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित कोई रकम अर्थात् :—

$$\text{क} \times \frac{\text{ख}}{\text{ग}}$$

जहां क = गत वर्ष के दौरान उपगत खंड (i) में सम्मिलित ब्याज की रकम से भिन्न ब्याज के रूप में व्यय की रकम;

ख = विनिधान के मूल्य का औसत, वह आय जो कुल आय का भाग नहीं बनती है या नहीं बनेगी, जैसी कि गत वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन निर्धारिती के तुलन पत्र में प्रकट होती है;

ग = कुल आस्तियों का औसत जैसी कि गत वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन निर्धारिती के तुलन पत्र में प्रकट होती है;

(iii) विनिधान, आय जो कुल आय का भाग नहीं बनती है या नहीं बनेगी के मूल्य की औसत के आधा प्रतिशत के बराबर कोई रकम, जैसी कि गत वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन निर्धारिती के तुलन पत्र में प्रकट होती है।''

3. इस नियम के प्रयोजनों के लिए 'कुल आस्तियों' से ऐसी कुल आस्तियां अभिप्रेत हैं जो तुलन पत्र में प्रकट होती हैं। जिसके अंतर्गत आस्तियों के मूल्यांकन की रकम पर वृद्धि सम्मिलित नहीं है, किन्तु आस्तियों के मूल्यांकन के कारण कमी सम्मिलित है।

[अधिसूचना सं. 45/2008/फा. सं. 134/09/2007-टीपीएल]

संबित त्रिपाठी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) तारीख 26 मार्च, 1962 में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2008 अधिसूचना सं. का.आ. 493(अ) तारीख 13-3-2008 द्वारा किया गया था ।